निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 12(1) (C) के अन्तर्गत प्रवेश के लिए आवेदन

सेवा में,

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी

जनपद..........................उ0 प्र0।

द्वारा : नगर शिक्षा अधिकारी/खण्ड शिक्षा अधिकारी

बार्ड................................/विकासखण्ड..................

विषय : निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत निजी विद्यालय में कक्षा–1 में 25 प्रतिशत सीटों के अन्तर्गत अलाभित समूह एवं दुर्बल वर्ग के परिवार के बच्चों का प्रवेश

मैं अपने बालक/बालिका........................(नाम) जन्म तिथि (dd----mm----yyy----) ....पुत्र/पुत्री.......................(माता व पिता का नाम) को ....(विद्यालय का नाम एवं पता) कक्षा .... में प्रवेश दिलाना चाहता/चाहती हूं।

मैं प्रमाणित करता हूं कि मेरे निवास स्थान से एक किलोमीटर की परिधि में कोई सरकारी / परिषदीय / सहायतित विद्यालय स्थापित नहीं है।

अथवा

मैं प्रमाणित करता हूं कि मेरे निवास स्थान से एक किलोमीटर की परिधि में स्थापित पड़ोसी सरकारी/परिषदीय/सहायतित विद्यालय में कक्षा–1 में कोई स्थान उपलब्ध नहीं है।

(जो लागू न हो उसे काट दिया जाए)

कृपया अधिनियम के प्रावधान के तहत 25 प्रतिशत स्थान/सीटों के अन्तर्गत बच्चे को स्कूल में प्रवेश दिलाये जाने का कष्ट करें।

1. मैं स्कूल के पड़ोस स्थित गांव/बस्ती/शहर के बार्ड ....का/की निवासी हूं। उसके प्रमाण के रूप में निम्न दस्तावेज की फोटो प्रति संलग्न है।

इस दस्तावेज की प्रति स्वप्रमाणित है।

(जिस दस्तावेज की स्वप्रमाणित प्रति संलग्न की गई है, उसमें टिक (√) करें

i. मतदाता परिचय पत्र ☐
ii. राशन कार्ड ☐
iii. भू अधिकार पत्रिका ☐
iv. ग्रामीण क्षेत्र में जाब कार्ड (महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम) ☐
v. पासपोर्ट/ड्राइविंग लाइसेन्स / विद्युत बिल/पानी का बिल ☐
vi. अन्य कोई राजकीय दस्तावेज जिसमें बच्चे के पालक/अभिभावक के निवास का पता अंकित हो। ☐

2. आवेदक का पुत्र / पुत्री / पाल्य निम्नलिखित समूह का है–
(जिस श्रेणी के हों, उसे चिन्हित कर उसमें (√) करें)
अलाभित समूह –

i. निःशक्त बच्चा ☐
ii. अनुसूचित जाति ☐
iii. अनुसूचित जन जाति ☐
iv. अन्य पिछड़ा वर्ग ☐
v. एच0आई0वी0 अथवा कैंसर पीड़ित माता–पिता/अभिभावक का बच्चा ☐
vi. निराश्रित बेघर बच्चा ☐

दुर्बल वर्ग –

i. जिसके माता –पिता या संरक्षक, सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत गरीबी रेखा के नीचे के कार्डधारक हैं अथवा ग्राम्य विकास विभाग की सूची में हैं। ☐
ii. जिसके माता–पिता या संरक्षक विकलांगता/ वृद्वावस्था/विधवा पेंशन प्राप्तकर्ता ☐
iii. जिसके माता–पिता या संरक्षक की अधिकतम वार्षिक आय रु0 1.00 लाख तक ☐

(रु0 35000/– तक की वार्षिक आय वाले आवेदक के बच्चे को विद्यालय में प्रवेश में वरीयता प्रदान की जायेगी। इसके उपरांत प्रवेश हेतु सीटें बचने पर रु0 35000/– की वार्षिक आय से अधिक किन्तु रु0 1.00 लाख तक वार्षिक आय वाले आवेदक के बच्चे को आय के आरोही क्रम में तैयार की गयी सूची के अनुसार प्रवेश दिया जायेगा)।

(जिस दस्तावेजों की स्वप्रमाणित प्रति संलग्न की गयी है, उसे (√) करें

i. जाति प्रमाणपत्र ☐

ii. निःशक्तता प्रमाण–पत्र ☐
iii. कैंसर / एच0आई0वी0 के प्रमाण–चिकित्सीय प्रमाणपत्र। ☐
iv. निराश्रित बेघर हुए तहसीलदार का प्रमाणपत्र ☐
v. बी0पी0एल0 प्रमाण पत्र ☐
vi. आय प्रमाण पत्र ☐

स्व घोषणा प्रमाण–पत्र

एतदद्वारा घोषणा की जाती है कि उपर्युक्त सभी प्रविष्टियां व संलग्न प्रमाण–पत्र सत्य हैं। कोई भी त्रुटि पाये जाने पर प्रवेश निरस्त कर दिया जाए।

भवदीय,

दिनांक..............................

हस्ताक्षर
पालक / अभिभावक / अभिभाविका
का नाम व पता
....
....
....